संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश

"कचनार" ई–5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी,हबीबगंज पुलिस थाना के पास,भोपाल–462016
ई–मेल–mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष–0755.2427096

क्रमांक /नग्रानि/विधि/2019 भोपाल, दिनांकः– /10/2019

प्रति,

संयुक्त संचालक/
उप संलालक/सहायक संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
जिला कार्यालय.....

विषयः– मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 16 में संशोधन बाबत्।

संदर्भः– मध्य प्रदेश राजपत्र(असाधारण) दिनांक 20/09/2019

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र राजपत्र दिनांक 20/09/2019 की छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न– उपरोक्तानुसार

अपर संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश,
भोपाल, मध्य प्रदेश

पृ.क्रमांक 6017/नग्रानि/विधि/2019 भोपाल, दिनांकः– 9/10/2019

प्रतिलिपि,

सहा. सूचना प्रोद्यौगिकी अधिकारी को राजपत्र दिनांक 20/09/2019 को बेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

अपर संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश,
भोपाल, मध्य प्रदेश

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 38] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 सितम्बर 2019—भाद्र 29, शक 1941

भाग ४

विषय-सूची

(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक.

(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम.

(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अन्तिम नियम.

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

सूचना

भोपाल, दिनांक 9 सितम्बर 2019

क्र. एफ 3-112-2018 अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 24 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 85 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के निम्न नियमों में संशोधन करती है, तो उक्त अधिनियम की धारा 85 की उपधारा (1) के द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 29 सितम्बर, 2018 में पूर्व में प्रकाशित किये जा चुकें हैं:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. परिशिष्ट-क-1 में, अनुक्रमांक 9 तथा उससे संबंधित प्रविष्टि का लोप किया जाए.
2. परिशिष्ट-क-2 में, अनुक्रमांक 8 तथा उससे संबंधित प्रविष्टि का लोप किया जाए.

3. नियम 16 में, उप-नियम (1) में,—

(एक) खण्ड (क), में शब्द "नजूल अनापत्ति प्रमाण-पत्र" का लोप किया जाए.

(दो) खण्ड (ख) में, शब्द "नजूल अनापत्ति" का लोप किया जाए.

(तीन) उप-नियम (11) में, खण्ड (ग) में, शब्द "नजूल से अनापत्ति प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित प्रति" के स्थान पर, शब्द "यदि आवेदित भूमि राजस्व अभिलेख में आवेदक के नाम दर्ज है, तो प्राधिकारी आवेदन प्राप्त होने के सात दिवस के भीतर, नजूल अधिकारी को 30 दिवस की कालावधि में नजूल अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु लिखेगा. यदि उक्त निर्धारित कालावधि में नजूल अनापत्ति प्रमाण-पत्र/आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मानते हुए कि नजूल अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी कर दी गई है, आगामी कार्रवाई की जाएगी, परन्तु उक्त कारण से अनुज्ञा जारी करने हेतु नियत कालावधि को अपवर्जित नहीं किया जायेगा." स्थापित किया जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 9 सितम्बर 2019

क्र. एफ 03-112-2018 अठारह-5.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, नगरीय विकास एवं आवास की अधिसूचना क्रमांक-एफ-03-112-2018-अठारह-5, दिनांक 9 सितम्बर 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

NOTICE

Bhopal, the 9th September 2019

No. F-3-112-2018-XVIII-5.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 85 read with sub-section (3) of Section 24 of Madhya Pradesh Town and County Planning Act, 1973. The State Government hereby makes the following amendments in Madhya Pradesh Bhumi Vikas Niyam, 2012 rules the same having been previously published in the Madhya Pradesh Gazette (Extra-Ordinary) dated 29 September 2018 as required by sub-section (1) of Section 85 of the said Act.

AMENDMENT

In the said rules,—

1. In Appendix A-1, serial number 9 and entries relating thereto shall be omitted.
2. In Appendix-A-2, serial number 8 and entries relating thereto shall be omitted.
3. In rule 16, in sub-rule (1),—

(i) In clause (a), for the words "Nazul NOC" shall be omitted.

(ii) In clause (b), for the words "Nazul NOC" shall be omitted.

(iii) In sub-rule (11), in clause (c), for the words "attested copy of No Objection Certificate from Nazul", the words "If the land applied is registered in the name of applicant in revenue records, then Authority shall write to the Nazul Officer within seven days of receipt of application, to issue Nazul NOC with in a period of 30 days. If Nazul NOC/ Objection is not received in the stipulated period, then further action shall be taken assuming the Nazul NOC has been issued, provided that, for the above reason, the time period fixed for granting the approval shall not be excluded" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SHUBHASHISH BANERJEE, Dy. Secy.